—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :—119/2022

उनवान

1. गिरधारी पुत्र रामदेव,
2. मिश्रीलाल,
3. रामनारायण,
4. लक्ष्मण,
5. सांवरा पि0 धन्ना,
6. करण पुत्र लादू,
7. रामनिवास पुत्र लादू,
8. सुमित्रा,
9. सरोज
10. संतरा पि0 लादू जाति जाट नि. देराठू, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत देराठू, तहसील नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें राज. पैरोकार, 2 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 17.7.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के चौसाला खसरा नम्बर 873/1 रकबा 0—3—10 व 873/2 रकबा 2—11—10 के वंर्किग खसरा नम्बर 834 रकबा 17—0—10 के हाल खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.34, 1063 रकबा 0.95, 1096 रकबा 0.19 व 1103 रकबा 1.00 की आराजी चौसाला जमाबंदी समवत् 2025 से 2028 में खातेदार रामदेव, धन्ना पि. कज्जा के नाम खातेदारी थी। रामदेव व धन्ना की मृत्यु हो गयी है के वारिस प्रार्थीगण ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। बंदोबस्त व राजस्व विभाग ने अपने अधिकारों से परे जाते हुये वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित कर दी, जिस करण अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है तथा भूमि पर दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन [illegible] प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:03 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रथम दृष्टया मामला :–

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार चौसालस जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 में चौसाला खसरा नम्बर 873/1 रकबा 0–3–10 व 873/2 रकबा 2–11–10 में खातेदार रामदेव, धन्ना पि. कज्जा के नाम खातेदारी थी। चौसाला खसरा नमबर 873 का कुल रकबा 37–12–10 था, जिसमें से प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम 2–15–0 ही खातेदारी दर्ज था, शेष रकबे की स्थिति प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट नही की गयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 834 रकबा 17–0–10 वंर्किग जमाबंदी में भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। चौसाला खसरा नम्बर 873 के वंर्किग खसरा नम्बर 834 के अतिरिकत अन्य वंर्किग खसरा नम्बर भी बने है जिनकी स्थिति भी प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही की है। चौसाला खसरा नम्बर 873 रकबा 37–12–10 में से 17–0–10 रकबा ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया है। साथ ही हाल खसरा नम्बर भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किस्म गै0मु0 आबादी के रूप में अंकित है। आबादी भूमि पर प्रार्थीगण ने अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये हैं। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी दर्ज है, जिसकी किस्म गे.मु. आबादी हैं। हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी द्वारा साबिक खसरा नमबर के समस्त रकबे की स्थिति स्पष्ट नही की है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :–अतः ग्राम देराठू की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:03 IST
Reason: SelfAttested